राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र. दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F. No. स्वा.एव.प.क.वि./ प्र0शा0 / 2022/1063

दिनांक: 28.03.2022

सेवा में

उप–सचिव, (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054

विषय: विधान सभा सत्र दिनांक 29.03.2022 में माननीय विधायक श्री सोम दत्त द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या –58 का उत्तर ।

(तारांकित प्रश्न संख्या – 58)

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बंधित उत्तर की 100 प्रतियां, PDF सहित अग्रिम कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

यह सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है ।

ओ.पी. पाण्डे
(ओ. पी. पाण्डे)
उपसचिव (प्रश्न शाखा)

संलग्न –उपरोक्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित / अतारांकित : तारांकित

प्रश्न संख्या : 58

दिनांक : 29.03..2022

प्रश्नकर्त्ता का नाम : श्री सोम दत्त

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली 'कैशलेस' स्वास्थ्य सेवाओं का दिल्ली सरकार के निर्देश पर बंद कर दिया गया है;	यह सत्य नहीं है, दिल्ली सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली कैशलैस स्वास्थ्य सेवाओं को बन्द नहीं किया गया है ।
ख)	यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;	उपरोक्तानुसार, मान्य नहीं है ।
ग)	यदि नहीं, तो पैनल के अस्पतालों द्वारा पेंशनधारकों को 'कैशलेस' सुविधा देने से इनकार करने के क्या कारण हैं;	केवल मैक्स अस्पताल वैशाली व शालीमार बाग की कैशलैस सेवाएं बाधित है, क्योंकि उनके बिलों में कुछ तुर्टियां थीं जिसकी वजह से उनका भुगतान नहीं हुआ था । बी. एल. के. अस्पताल ने अपना नाम बदला था जिसकी कागजी कार्यवाही पूरी नही हो पाई थी । इसलिए बी. एल. के. में कैशलैस सुविधा बाधित है ।
घ)	जो अस्पताल 'कैशलेस' सुविधा देने से इनकार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, अथवा की जानी प्रस्तावित है;	उन अस्पतालों से पत्र व ई–मेल द्वारा केशलेस सुविधा शुरू करने को कहा गया है ।
ङ)	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 'कैशलेस' सुविधा पुनः कब से आरंभ कर दी जाएगी;	बंद सेवाओं को जल्दी ही शुरू कराने के प्रयास किये जा रहे है ।
च)	दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और पैंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;	. दिल्ली सरकार ने दिल्ली व एन सी आर में ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों डायग्नोस्टिक सेंटर, डेंटल सेंटर्स को डी जी एच एस स्कीम के अंतर्गत इमपैनल किया है जिससे लाभार्थी अपने निवास स्थान के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाऐं प्राप्त कर सकें । . जन शिकायत का समयानुसार समाधान किया जाता है । . डी जी एच एस ने रेफेरल का सिस्टम बंद कर दिया है जिससे लाभार्थी को असुविधा न हो
छ)	क्या यह सत्य है कि पैनल के अस्पतालों द्वारा दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को, आपात्कालीन स्थितियों में भी, उचित उपचार नहीं दिया जा रहा है; और	जी नहीं, यह सत्य नहीं है ।
ज)	पैनल के अस्पताल कड़ाई के साथ दिल्ली सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विवरण?	जन शिकायत समयानुसार समाधान किया जाता है जिनके लिए अस्पतालों से उस संदर्भ में जबाबदेही मागी जाती है और गलत पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जाती है। इस संदर्भ में काफी लाभार्थियों को अस्पतालों द्वारा ज्यादा पैसे लेने पर नियमानुसार वापिस करवाये जाते हैं।

मनीषा
26.3.2022

(मनीषा सक्सैना)
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

Pr. Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02